न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00099 (99/2021)

1. गोंदाराम पुत्र स्व0 श्री गामाराम, जाति बाजीगर, निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ताराराम पुत्र स्व0 श्री मालाराम, जाति बाजीगर, निवासी परलीका तहसील नाहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. चेतराम पुत्र श्री अमीचन्द जाति मेधवाल, निवासी परलीका तहसील नाहर जिला हनुमानगढ।
2. मुंशीराम पि0 मु0 गणपतराम जाति मेघवाल, निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शांति पत्नी स्व0 श्री भागीरथ
4. शिवभगवान पुत्र स्व0 श्री भागीरथ
5. विनोद पुत्र स्व0 श्री भागीरथ

   } जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर, जिला हनुमागनढ।

6. दलीप पुत्र श्री कुरड़ाराम
7. जगदीश पुत्र श्री कुरड़ाराम

   } जाति मेघवाल निवासीगण परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8. नाजरराम पुत्र स्व श्री गामाराम
9. बानो पत्नी स्व0 श्री गामाराम

   } जाति बाजीगर निवासीगण परलीका हाल आबाद जोगा, तहसील व जिला मानसा पंजाब

10. मिठूराम पुत्र स्व0 श्री मालाराम, जाति बाजीगर, निवासी परलीका, हाल आबाद सहारणी तहसील व जिला सिरसा
11. जितो बाई पुत्री मालाराम, जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद सहारणी तहसील व जिला सिरसा
12. लालाराम पुत्र श्री गण्डाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद जोगा, तहसील मानसा जिला मानसा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नाहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] 1955 विरूद्ध आदेश द्वारा सहायक कलक्टर नोहर दिनांक [illegible] मु0 सं0 5/2019 अनवान चेतराम बनाम मुंशीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री हवा सिह पूनियॉ, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स 1

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 13

निर्णय दिनांक 25.05.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किरेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी धिनियम की धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत अपनी खातेदारी भूमि चक 15 एनटीआर ''ए'' के खाता संख्या 25/26 में कुल 4.554 है0 भूमि में आवागमन के लिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 12 की पत्थर नंबर 358/419 (27) के किला नं. 1 व 2 में उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष होने पर अपील संख्या 201/2017 हुई जो अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अध्किारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृत के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त उभयपक्षों को सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2020 के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट का गांव परलीका है जो प्रश्नगत भूमि से दक्षिण की ओर स्थित है। गांव परलीका से राजपुरिया को जाने वाली सड़क पत्थर लाईन 357 पर प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 5, 6,15, 16, 25 में से होकर गुजरती है। इस सड़क से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पत्थर नम्बर 358/420 (28) के किला नं. 10 ,9 व 8 के उतरी सिरे होते हुए अपनी कृषि भूमि के किला नं. 3 में प्रवेश करता है यही रास्ता रेस्पोडेण्ट के लिए सबसे कम दूरी का है। अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] कोई विवेचना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पा[illegible] पत्थर नम्बर 358/420 (28) के किला नं. 10, 9, 8 से सम्बन्धित [illegible]दार कृषक[illegible] पक्षकार नहीं बनाया है आनन फानन में अपीलाधीन आदेश [illegible] अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं अनुचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष होने पर अपील संख्या 201/2017 हुई जो अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू– अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृत के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड आदेशों की पूर्ण पालना करते हुए मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत तरीके से उभयपक्षों को सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2020 के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए बार बार अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायलाय ने अपने पूर्व के आदेश दिनांक 31.01.2017 को प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया था जिसकी अपील अपीलाण्ट गोंदाराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष होने पर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''ए'' के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान कश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू– अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृत के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। प्रकरण रिमाण्ड होने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट 674/4.09.2019 पत्रावली में संलग्न है, जिसके बिन्दू संख्या 5 में आवागमन के वास्ते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होना अंकित किया है। प्रार्थी को उसकी खतोदारी भूमि में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। रेस्पोडेण्ट रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने को भी तैयार है। अपीलाण्ट द्वारा रास्ता प. नं. 258/420 (28) किला नं. 10, 9, 8 में देने के संबंध में कथन किये हैं वह रास्ता पत्थर लाईन पर न[illegible] है एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा चाहा गया रास्ता केवल 2 किलों में ही है जो निकटतम भी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो बार निर्णय किया जा रास्ता स्वीकृत किया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार रेस्पेडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु यही निकटतम रास्ता है एवं अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील में अब कोई सार नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested